कार्यालय :– उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

Ph No.:- 089877-90041 Email ID : dfo-ptrnorth@gov.in

पत्रांक 1282 दिनांक 18.06.19

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

विषय :– पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के जंगलों को भीषण गर्मी में आग (Forest Fires) से बचाने हेतु स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 247 दिनांक 13.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में जंगलों में लग रहे आग (Forest Fire) के घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जंगलों के समीपवर्ती ग्रामों में नुक्कड़ नाटक गीत–संगीत के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु आपके कार्यालय द्वारा Agricultural Consultancy & Rural Development Institute, Harmu Ranchi, Jharkhand को प्राधिकृत किया गया था।

उक्त संस्था द्वारा इस प्रमण्डल अन्तर्गत 09 (नौ) ग्रामों में नुक्कड़ नाटक गीत–संगीत आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त 09 (नौ) ग्रामों में किये गये सभी आयोजन काफी सराहनीय तथा संतोषप्रद रहे।

आपका विश्वासी,

18/06/2019

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Agricultural Consultancy & Rural Development Institute (ACORDI)
Manoj Kumar Jha
General Secretary
Regd. No.-1345/88
Harmu, Ranchi, Jharkhand

झारखण्ड सरकार

कार्यालय- वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा
जिला-ग्रामीण विकास अभिकरण परिसर, लोहरदगा

पत्रांक 306

दिनांक 10/07/2018

<u>कायदिश</u>

प्रेशक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा झारखण्ड

सेवा में,

मेसर्स-एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एकॉडी) हरमू राँची।

विषय :- नगोदाग गेट न0 27 लोहरदगा इको-टूरिज्म पार्क स्थल पर सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको यह आदेश दिया जाता है कि संस्था एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एकॉडी) हरमू राँची क्षेत्रीय वन पदाधिकारी कुडू एवं वन समिति के निर्देशानुसार नगोदाग इको - टूरिज्म गेट न0- 27 में एक टिकट घर तीन पर्यटक शेड तथा एक वेलकम गेट का निर्माण बास-वस्तु आधारित रूप रेखा से तैयार करना है।

इस सौन्दर्यीकरण कार्य का विपत्र भुगतान क्षेत्रीय वन पदाधिकारी कुडू एवं वनपाल कुडू के अनुमोदन से कि जाएगी।

आपका विश्वासी

(Stamp: AGRICULTURAL CONSULTANCY ... DEVELOPMENT INSTITUTE (ACORDI) — MANOJ KUMAR JHA, GENERAL SECRETARY, Reg. No. 134/87-88, 169/2005-06, H-279, Harmu, Ranchi, Jharkhand)

वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा।

कार्यालय–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।
ब्लॉक–D, वन भवन, डोरण्डा, राँची।
e-mail-dfo-publicity@gov.in; Telefax No.0651-2481674 (O)

झारखण्डसरकार

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली

पत्रांक : .... दिनांक : ....

सेवा में,

(1) उपनिदेशक, दक्षिणी,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
मेदनीनगर।
(2) उपनिदेशक, उत्तरी,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
मेदनीनगर

विषय :– पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के जंगलों को भीषण गर्मी में आग (Forest Fire) से बचाने हेतु स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में दिनांक 12.05.2019 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड द्वारा पलामू व्याघ्र परियोजना भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देश के आलोक में व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के जंगलों में लग रहे आग (Forest Fire) की घटना को कम करने के उद्देश्य से जंगलों के समीपवर्ती ग्रामों में नुक्कड़ नाटक, गीत–संगीत एवं वनभोज आयोजित कर ग्रामवासियों को जंगलों को आग से बचाने हेतु उपाय में नुक्कड़ नाटक, गीत–संगीत के द्वारा किया जाना है। उक्त नुक्कड़ नाटक को आयोजित करने हेतु M/s Agricultural consultancy & Rural Development Institute, H1-279, Kartik Oraon Chowk, Harmu, Ranchi-02 को प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची, झारखण्ड के द्वारा आपके प्रमण्डल में नुक्कड़ नाटक, गीत–संगीत करने हेतु भेजा जा रहा है। पलामू, व्याघ्र परियाजना के क्षेत्र के दोनों प्रमण्डलों के जंगलों के समीपवर्ती ग्रामों में यह दल 10–10 नुक्कड़ नाटक करेंगे।

अनुरोध करना है कि नुक्कड़ नाटक के दल को रहने एवं जंगलों के समीपवर्ती ग्रामों में जहाँ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाना है। उक्त स्थल तक आने–जाने की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे।

आपका विश्वासी

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदनीनगर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

ह0 / –
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

ज्ञापांकः– 247   दिनांकः– 13.05.19

प्रतिलिपिः– श्री मनोज कुमार झा, M/s Agricultural consultancy & Rural Development Institute, H1-279, Kartik Oraon Chowk, Harmu, Ranchi-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुये कहना है कि आप अपने दल के साथ अविलंब पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र प्रस्थान करेंगे एवं उपनिदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, (दक्षिणी एवं उत्तरी) से सम्पर्क करेंगे एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ससमय आपके द्वारा दिये गये निदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।

13.05.19

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय- वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा
जिला-ग्रामीण विकास अभिकरण परिसर, लोहरदगा

पत्रांक 223

दिनांक 15/01/2018

<u>कार्यादेश</u>

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा झारखण्ड

सेवा में,

महासचिव

एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एकॉडी) हरमू, राँची

महाशय,

आपके संस्था द्वारा दिए गए आवेदन एवं बाँस-वस्तु क्षेत्र में किए गए कार्यो के आधार पर संस्था एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एकॉडी) हरमू राँची को जिला- लोहरदगा के चार प्रखंड - कुडू, बनारी, सेन्हा एवं किस्को के पन्द्रह दिवसीय बाँस - वस्तु निर्मित प्रशिक्षण एवं टूल किट सामाग्री वितरण हेतु चयन किया जाता हैं। यह कार्य संस्था द्वारा 31/03/2018 के पूर्व सफलता पूर्वक निष्पादन अनिवार्य है। इस कार्यक्रम के संचालन में सरकारी मार्गदर्शिका का पालन करना होगा एवं कार्य-संचालन में क्षेत्रीय वन पदाधिकारी लोहरदगा एवं वन समिति सहयोग करेगी।

कार्य संतुष्टि नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय यह आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा झारखण्ड

कार्यालय :– वनप्रमंडल पदाधिकारी वन प्राणी आश्रयणी (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) गुमला

झारखण्ड सरकार

पत्रांक :– 264

दिनांक :– 18 / 02 / 20

कार्यालय– आदेश

मेसर्स एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टिच्यूट (एकोर्डी), हरमू राँची को विषय वस्तु मशरूम उत्पादन एवं फुलों के खेती हेतु प्रशिक्षण कार्य के लिए अधिकृत किया गया हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वन परिषद, पालकोट एवं रायडीह में की जानी हैं। प्रशिक्षणार्थी को भोजन–व्यवस्था, यात्रा–भत्ता व्यवस्था साथ ही साथ संस्था द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिकण–सामग्री / कच्चा माल प्रदान करेगी।

कार्यक्रम के सफल संचालन के उपरांत उल्लेखित संस्था– एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टिच्यूट (एकोर्डी) को भुगतान कि जाएगी। यह कार्यक्रम वन संरक्षक पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के देख रेख में संपन की जानी हैं।

ह0

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला

वन्य प्राणी आधयणी, गुमला, पालकोट

झारखण्ड सरकार

कार्यालय - वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, झारखण्ड, राँची।

ब्लॉक –D, वन भवन, डोरण्डा, राँची–834002
e-mail- dfo-publicity@gov.in; Telefax No.0651-2481674 (O)

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली

पत्रांक 97 दिनांक 25/2/20

सेवा में,

M/s Agricultural Consultancy
& Rural Development Institute,
H1-279, Kartik Oraon Chowk,
Harmu, Ranchi - 02

विषय :– वन, वन्य प्राणी एवं जल संरक्षण विषय पर हरित चेतना अभियान योजना के अंतर्गत स्थानीय भाषा में नुक्कड नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक AC/0/155/1920 दिनांक 20.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 20.02.2020 को आमंत्रित कोटेशन में आपका दर न्यूनतम पाया गया है।

आपके द्वारा समर्पित कोटेशन के आधार पर आदेश दिया जाता है कि हरित चेतना अभियान के तहत् वन, वन्य प्राणी एवं जल संरक्षण विषय पर स्थानीय भाषा में नुक्कड नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण हेतु दलमा के गांवों में 10 नुक्कड नाटक का आयोजन कराया जाय।

आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रति कार्यक्रम के उपरांत संबंधित स्टील फोटोग्राफ, नाटक विडियो, आपके द्वारा कराये गये नुक्कड़–नाटक का ग्रामिणों द्वारा प्रमाण पत्र एवं ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

नुक्कड़–नाटक में किसी प्रकार की त्रुटि या शिकायत पाये जाने पर भुगतान से आवश्यक कटौती एवं रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

आपका विश्वासी

25.02.2020

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

कार्यालय :– वनप्रमंडल पदाधिकारी वन प्राणी आश्रयणी (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) गुमला

पत्रांक :– 264

दिनांक :– 18 / 02 / 20

कार्यालय– आदेश

मेसर्स एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टिच्यूट (एकोर्डी), हरमू राँची को विषय वस्तु मशरूम उत्पादन एवं फुलों के खेती हेतु प्रशिक्षण कार्य के लिए अधिकृत किया गया हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वन परिषद, पालकोट एवं रायडीह में की जानी हैं। प्रशिक्षणार्थी को भोजन–व्यवस्था, यात्रा–भत्ता व्यवस्था साथ ही साथ संस्था द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिकण–सामग्री / कच्चा माल प्रदान करेगी।

कार्यक्रम के सफल संचालन के उपरांत उल्लेखित संस्था– एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टिच्यूट (एकोर्डी) को भुगतान कि जाएगी। यह कार्यक्रम वन संरक्षक पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के देख रेख में संपन की जानी हैं।

ह0

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला

वन्य प्राणी आधयणी, गुमला, पालकोट

कार्यालयः–उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।
Ph.No.:- +91 89877 90041 Email : dydirectornorth.dtg@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 563 दिनांक 14.05.19

सेवा में,

M/S Agricultural consultancy &
Rural Development Institute,
H I -279, Kartik Oraon Chowk,
Harmu, Ranchi - 02

विषय :– पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के जंगलो को भीषण गर्मी में आग (Forest Fire) से बचाने हेतु स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के संबंध में।

प्रसंग :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल का पत्रांक 247 दिनांक 13.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा जंगलो में लग रही आग से बचाव हेतु नुक्कड़ नाटक आदि के लिए आपको नामित किया गया है तथा 10–10 नुक्कड़ नाटक हेतु ग्रामों की सूची उपलब्ध कराने हेतु आपके द्वारा अनुरोध किया गया।

अतः संबंधित ग्रामों की सूची एवं समन्वय हेतु संबंधित वन विभागीय कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम एवं दूरभाष का विवरण निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Name of Division	Name of Range	Name of Village
	Palamau Tiger Project, North Division, Medininagar.	Chhipadohar East RFO Mob. No- 7294189535	Amwatikar
			Kumandih
		Chhipadohar West RFO Mob. No- 9431788698	Barichattan
			Badhania
			Saidup
			Sindhorwa
		Kutku RFO Mob. No - 9470332157	Hesatu
			Kutku
			Madgari
		Betla 7294189535	Dorami

आपका विश्वासी

उप निदेशक, 14/5/19
पलामू व्याघ्र परियोजना,
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

कार्यालयः— उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

Ph.No.-06562-231277 E.mail : dfo-ptrsouth@gov.in

पत्रांकः 808 / दिनांकः 14-05-2019

सेवा में,

M/s Agricultural consultancy &
Rural Development Institute,
H1-279, Kartik Oraon Chowk,
Harmu, Ranchi-02

विषयः— पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल अन्तर्गत प्रक्षेत्रो के जंगलो को भीषण गर्मी में आग (Forest Fire) से बचाने हेतु स्थानीय भाषा में नुक्कड़, नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के संबंध में।

प्रसंगः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमंडल, राँची का पत्रांक–247 दिनांक–13.05.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र के आलोक में पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, अन्तर्गत प्रक्षेत्रों के जंगलो को भीषण गर्मी मे आग (Forest Fire) से बचाने हेतु नुक्कड़ नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा ग्रामीणों को उत्प्रेरण करने के लिये आपको प्राधिकृत किया जाता है।

प्रक्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक आदि करने के संबंध में प्रक्षेत्रवार निम्नवत् सूची उपलब्ध करायी जा रही है :–

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	अग्नि प्रभावित सबबीट का नाम	अभियुक्ति
1	गारू पूर्वी प्रक्षेत्र	बारेसांढ़ कम्प0–19	
2	गारू पश्चिमी प्रक्षेत्र	बारेसांढ़ कम्प0–12	
		बारेसांढ़ कम्प0–17	
		मारोमार	
3	बारेसांढ़ प्रक्षेत्र	कोरगी	
		आधे	
		कुजरूम	
		तिसिया	
4	महुआडांड़ प्रक्षेत्र	माईल	
		हुसमु	
		दौना	

अनुरोध है कि उल्लेखित सबबीट के समीपवर्ती ग्रामों में वनों को अग्नि से बचाने हेतु नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

Mukesh Kumar 14/5/19

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर।

D\My Docoment\Account\Latter

झारखण्ड सरकार

कार्यालय - वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, झारखण्ड, राँची।

ब्लॉक –D, वन भवन, डोरण्डा, राँची–834002
e-mail- dfo-publicity@gov.in; Telefax No.0651-2481674 (O)

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली

पत्रांक 97 दिनांक 25/2/20

सेवा में,

M/s Agricultural Consultancy
& Rural Development Institute,
H1-279, Kartik Oraon Chowk,
Harmu, Ranchi - 02

विषय :– वन, वन्य प्राणी एवं जल संरक्षण विषय पर हरित चेतना अभियान योजना के अंतर्गत स्थानीय भाषा में नुक्कड नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक AC/0/155/1920 दिनांक 20.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 20.02.2020 को आमंत्रित कोटेशन में आपका दर न्यूनतम पाया गया है।

आपके द्वारा समर्पित कोटेशन के आधार पर आदेश दिया जाता है कि हरित चेतना अभियान के तहत् वन, वन्य प्राणी एवं जल संरक्षण विषय पर स्थानीय भाषा में नुक्कड नाटक, गीत–संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण हेतु दलमा के गांवों में 10 नुक्कड नाटक का आयोजन कराया जाय।

आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रति कार्यक्रम के उपरांत संबंधित स्टील फोटोग्राफ, नाटक विडियो, आपके द्वारा कराये गये नुक्कड़–नाटक का ग्रामिणों द्वारा प्रमाण पत्र एवं ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

नुक्कड़–नाटक में किसी प्रकार की त्रुटि या शिकायत पाये जाने पर भुगतान से आवश्यक कटौती एवं रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

आपका विश्वासी

25.02.2020

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची।

कार्यादेश

पत्रांक...338.....

दिनांक 02.12.17

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा झारखण्ड

सेवा में,

महासचिव

एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एकॉडी) हरमू रांची

महाशय,

आपके संस्था द्वारा दिए गए आवेदन एवं बाँस - वस्तु क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर संस्था एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एकॉडी) हरमू रांची को जिला - लोहरदगा के चार प्रखंड - कुडू, बनारी, सेन्हा एवं किस्को के पन्द्रह दिवसीय बाँस - वस्तु निर्मित प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है | यह कार्य संस्था द्वारा 31/03/2018 के पूर्व सफलता पूर्वक निष्पादन अनिवार्य है | इस कार्यक्रम के संचालन में सरकारी मार्गदर्शिका का पालन करना होगा |

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय यह आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा |

वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा झारखण्ड

AGRICULTURAL CONSULTANCY & RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE * ACORDI *
MANOJ KUMAR JHA
GENERAL SECRETARY
Reg. No.-134/87-88
169/2005-06
HI-279, Harmu, Ranchi
Jharkhand

कार्यालय आदेश

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी गुमला झारखण्ड

गुमला वन प्रमंडल

सेवा में,

एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ACORDI) हरमू रांची

महाशय,

संस्था एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एण्ड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ACORDI) हरमू रांची को जिला - गुमला के दो इकाई प्रखंड - बसिया एवं गुमला के पन्द्रह दिवसीय बाँस - वस्तु निर्मित प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के संचालन में सरकारी मार्गदर्शिका का पालन करना होगा।

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय यह आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यह कार्य संस्था द्वारा 31/03/2018 के पूर्व सफलता पूर्वक निषपादन अनिवार्य है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी गुमला

पत्रांक 617

दिनांक 08.11.2017

AGRICULTURAL CONSULTANCY & RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE
MANOJ KUMAR JHA
GENERAL SECRETARY
Reg. No.-134/87-88
169/2005-06
HI-279, Harmu, Ranchi
Jharkhand
★ ACORDI ★

कार्यालयः- उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर।
झारखण्ड सरकार
Ph.No.-06562-231277 E.mail-ddptr-southplm@jharkhandmail.gov.in

पत्रांकः 1027 दिनांकः 18/6/19

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
प्रचार एंव प्रसार प्रमंडल, राँची ।

विषय :- पलामु व्याघ्र योजना क्षेत्र के जंगलों को भीषण गर्मी में आग(Forest Fire) से बचाने हेतु स्थानीय भाषा में नुक्कड. नाटक, गीत संगीत आदि के द्वारा उत्प्रेरण के संबंध मे।

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 247 दिनांक- 13.05.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र द्वारा व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में जंगलो में लग रहे आग (Forest Fire) के घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जंगलो के समीपवर्ती ग्रामों में नुक्कड़, नाट्क, गीत-संगीत के माध्यम से ग्रामीणो को जागरुक करने हेतु M/S Agriculture Cosultancy and Rural Development Institute, HI- 279, Kartik Oraon Chowk, Harmu , Ranchi को प्राधिकृत किया गया था।

उक्त संस्था द्वारा इस प्रमंडल अन्तर्गत 11 (ग्यारह) वन ग्रामों में नुक्कड नाटक, गीत-संगीत आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त 11(ग्यारह) वन ग्रामों में किये गये सभी आयोजन काफी सराहनीय तथा संतोषप्रद रहा।

विश्वासभाजन,

18/6/19

उप निदेशक,
पलामू ब्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर।

कार्यालय :– उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर
Ph.No.:- 089977-90041 Email ID : dydirectornorth.dt@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 132 दिनांक 30/01/18

सेवा में,

एग्रीकल्चरल कन्सलटेन्सी एण्ड रूरल,
डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, (ऐकार्डी) हरमू, राँची।

विषय :– बॉस–वस्तु निर्मित 15 दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक AC/0/135/17-18 दिनांक 03.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा बॉस–वस्तु निर्मित 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा समर्पित विवरण, अनुभव, गुमला एवं लोहरदगा जिले में कराये गये प्रशिक्षण का अनुभव के आधार पर आपको इस प्रमण्डल के बेतला, बरवाडीह, छिपादोहर एवं मदगड़ी कुल– चार (4) जगहों में बॉस– वस्तु निर्मित प्रशिक्षण के लिए चयनित किया जाता है।

प्रशिक्षण में बॉस से निर्मित वस्तुओं (जिसके निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाना है) की सूची एवं किट में उपलब्ध सामग्रियों की सूची संलग्न है।

<u>नियम एवं शर्तें :–</u>

- प्रशिक्षण अवधि कम से कम 15 दिनों का होगा।
- प्रशिक्षण अवधि में कम से कम 30 ग्रमीणों को प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
- प्रशिक्षणार्थियों को दोपहर के भोजन का व्यवस्था करना होगा।
- प्रशिक्षण स्थल से तीन किलोमिटर से ज्यादा दूरी के ग्रामीणों के परिवहन का व्यवस्था करना होगा।
- प्रशिक्षण के शुरूआत में ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कीट उपलब्ध कराना होगा।
- प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल (बॉस, पेन्ट इत्यादि) का व्यवस्था स्वयं करना होगा।
- 15 मार्च 2018 के पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।
- प्रशिक्षक को रहने–खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

अतः आपको उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने का आदेश दिया जाता है। संतोषप्रद एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् भुगतान किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय यह आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी

Mishra 30/1/18

उप निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना,
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।